Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

मज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

वानः— असीम गोदारा वनाम कृष्णलाल आदि

:— 88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्याः— 185 / 2019

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
8.7.19 अभिभाषक वादी द्वारा वाद-पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के वाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.8.2019 को पेश हो।	
31-7-19 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री महावीर गोदारा वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया। उभयपक्ष स्वयं उपस्थित राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया प्रकरण में राजीनामा होने से तकलीफात बकाया नहीं पाया जाता। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 19-8-19 को पेश हो।	पक्षकार Anita, पक्षकार महावीर गोदारा
19-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार कर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डिक्री जारी की गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर संकमनी जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

AKMS - 2019/00303

(राजस्व वाद संख्या :- 185/2019 अनवान असीम गोदारा बनाम कृष्णलाल)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 185/2019

1 असीम गोदारा पुत्र श्री कृष्ण लाल गोदारा जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़। -- वादी

-:: बनाम ::-

1 कृष्ण लाल पुत्र श्री हंसराज गोदारा जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 अनिता पुत्री कृष्ण लाल पत्नी श्री रिपुदमन सिह जाति जाट निवासी माधोसिधाना तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

3 आई.डी.बी.आई बैंक शाखा हनुमानगढ जंक्शन। -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2

-:: निर्णय ::- दिनांक :- 19.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 16 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 13/101 मे 2.024 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 14/14 मे 0.506 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 13/101 सम्वत 2072-2075 व खाता संख्या 14/14 सम्वत 2072-75 हमराह पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है। वर्णित भूमि पूर्व मे मुझ वादी के दादा स्व. हंसराज की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विराश्तन मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बर्थ राईट हासिल है चूकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति के अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है। पारीवारिक समझौता/घरू बंटवारा होने के पश्चात प्रतिवादीया संख्या 2 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। मुताबिक घरू बंटवारा पारिवारिक समझौता मुझ वादी को वाके चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 13/101 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.024 हैक्टर तथा इसी चक के खाता संख्या 14/14 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.506 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 को अन्य चको मे भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही मुझ वादी अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहा है। परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी असीम गोदारा, प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण लाल के नाम दर्ज वाके चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 13/101 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.024 हैक्टर तथा इसी चक के खाता संख्या 14/14 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.506 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है तथा चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए के खाता संख्या 13/101 व खाता संख्या 14/14 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

Scanned by CamScanner

वादी ने प्रतिवादीगण से इस बाबत निवेदन किया तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे बाद मे आज से 10 रोज पूर्व मुकाम जोड़किया मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी असीम गोदारा, प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण लाल के नाम दर्ज वाके चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 13/101 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.024 हैक्टर तथा इसी चक के खाता संख्या 14/14 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.506 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है तथा चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए के खाता संख्या 13/101 व खाता संख्या 14/14 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 31.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 16 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 13/101 मे 2.024 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 14/14 मे 0.506 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादी के दादा स्व. हंसराज की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बर्थ राईट हांसिल है चूकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति क अलावा उक्त वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है। पारिवारिक समझौता/घरू बंटवारा होने के पश्चात् प्रतिवादीया संख्या 2 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। मुताबिक घरू बंटवारा पारिवारिक समझौता वादी को वाके चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 13/101 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.024 हैक्टर तथा इसी चक के खाता संख्या 14/14 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.506 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 को अन्य चको मे भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही वादी अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहा है। परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वादी असीम गोदारा, प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण लाल के नाम दर्ज वाके चक 16 एल.एल. डबल्यू. ए खाता संख्या 13/101 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.024 हैक्टर तथा इसी चक के खाता संख्या 14/14 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.506 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए के खाता संख्या 13/101 व खाता संख्या 11/1 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे तो वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपति एतराज नही है।

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रकरण मे उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज / 6 / 97 / 10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहम्ती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल के नाम चक 16 एल.एल.डब्ल्लू ए के खाता संख्या 13 / 101 व 14 / 14 की भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 13 / 101 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.024 हैक्टर तथा इसी चक के खाता संख्या 14 / 14 मे

लगातार 4

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ...नगढ़

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.506 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पुत्र हंसराज का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी असीम गोदारा पुत्र श्री कृष्ण लाल गोदारा जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 12.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 185/2019

1 असीम गोदारा पुत्र श्री कृष्ण लाल गोदारा जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 कृष्ण लाल पुत्र श्री हंसराज गोदारा जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 अनिता पुत्री कृष्ण लाल पत्नी श्री रिपुदमन सिह जाति जाट निवासी माधोसिधाना तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3 आई.डी.बी.आई बैंक शाखा हनुमानगढ जंक्शन। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 19.08.2019

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 19.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 16 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 13/101 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.024 हैक्टर तथा इसी चक के खाता संख्या 14/14 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.506 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पुत्र हंसराज का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी असीम गोदारा पुत्र श्री कृष्ण लाल गोदारा जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 12:22:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: